(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 8504–पीबीआर/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक 15.12.2016 पारित द्वारा न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षमप्राधिकारी (सी0) मध्यप्रदेश ग्वालियर, प्रकरण कमांक 09/सी0/88–89

.....

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री अमृतलाल
निवासी ग्राम– सेमरीतला
तहसील– पिपरिया जिला– होशंगाबाद

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी

.....

श्री एस.के. वाजपेयी, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक–प्रत्यर्थी

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/10/17 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम जो सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 41 के अन्तर्गत बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की ग्राम सेमरीतला तहसील–पिपरिया, जिला–होशंगाबाद में कुल भूमि 99.27 एकड़ थी। इस में से 44 एकड़ भूमि 2

फसली सिंचित भूमि है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 143.27 एकड़ भूमि धारित है। अपीलार्थी के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम के तहत प्रकरण बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सी0) मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 09/सी0/88–89 दर्ज कर दिनांक 31.08.2015 को अंतरिम आदेश पारित कर 35.37 एकड़ भूमि अंतरिम रूप से अतिशेष घोषित की गई एवं प्रारूप विवरण पत्र प्रकाशित किया गया। इस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा दिनांक 15.12.2016 को अंतिम आदेश पारित कर आपत्तियां निरस्त करते हुए 35.37 एकड़ भूमि अंतिम रूप से अतिशेष घोषित की गई एवं अंतिम विवरण पत्र प्रकाशन करने के निर्देश दिए गए। बन्दोबस्त आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में एक फसली असिंचित दर्ज है। अतः बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा एक फसली भूमि मान्य करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक की 44 एकड़ भूमि का एक फसली सिंचित भूमि माना जाए। तब भूमि का क्षेत्रफल 66 एकड़ सूखी भूमि होता है, परंतु बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा 88 एकड़ सूखी भूमि मान्य करने में विधि की गम्भीर भूल की गई। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा मुकेश की आयु दर्शाते हुए उसे वयस्क होना मानकर पात्रता देने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। ज़िसे निरस्त करने में बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आपत्ति के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था कि मुकेश बालिग है। अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रक सम्पत्ति थी और अपीलार्थी ने अपने भतीजे वसंत कुमार को 24 एकड़ तथा अनंत कुमार एवं असीम कुमार को 44 एकड़ भूमि दे दी थी। उनके द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त का आदेश निरस्त कर सीलिंग में ली गई अतिशेष भूमि से छूट प्रदान करने का अनुरोध पारित किया गया। प्रति उत्तर में प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर नहर होने से दो फसली भूमि है। अतः बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा 44 एकड़ भूमि को दो फसली मानने में पूर्णतः वैधानिक एवं नियमित कार्यवाही की गई है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने मुख्य रूप से दो बिन्दु उठाये है भूमि सिंचित न होना तथा एक सदस्य का नियत दिनांक को बालिग होना । उक्त संबंध में 1979 आर.एन. 528 केजूराम विरूद्ध शासन में कहा गया है कि सिंचाई के संबंध में केवल खातों की प्रविष्टि पर्याप्त नहीं है, इस बिन्दु पर शासन को साक्ष्य लेना चाहिये । इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने तथ्यों की पर्याप्त जॉच किया जाना नहीं पाया जाता । इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की उम्र का भी पटवारी के प्रारंभिक प्रतिवेदन की पुष्टि अथवा खण्डन अतिरिक्त साक्ष्यों से करनी चाहिये थी, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–16 निरस्त किया जाकर प्रकरण में साक्ष्य आदि ली जाकर कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर